

119

फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणका वर्ष ...31. दिसंबर 2016 की स्थिति में

1. प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016
2. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम जाबुलाल राठौड़
3. कार्यालय का नाम...संचार संभाग भोपाल जाबुलाल राठौड़
4. भविष्य निधि क्रमांक 25443004 कर्मचारी संख्या 894-1-663 वर्तमान धारित पद परीक्षण सहायक

उप जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्योरा गृह तथा अन्य भूमि भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया तथा खरीदा पट्टा बंधक विरासत भेंट व अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
① 22 ^{वा} नं०/ला/उपसंभाग/ता/कालीनी अशोडा गार्डन भोपाल (MP)	प्लॉट नं० 1 शु. नं० 370 वर्ग मीटर क्षेत्रफल	20,00,000/-	स्वयं	बैंक लोन एवं स्वयं की वसूली से दि. 27.12.2001 असल लखनऊ (लखनऊ) 30 अशोडा गार्डन भोपाल से खरीदा	-	-
② ग्राम/तहसील निवाली जिला बखार (MP)	म. नं० - 51, 52, 53 45x45 = 2015 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल	9,84,000/-	स्वयं	स्वयं की वसूली से श्री लुका कनॉट निवाली से खरीदा दि. 4.4.2014	-	-

हस्ताक्षर M. Raut

नाम जाबुलाल राठौड़
पद परीक्षण सहायक

जहां लागू न हो काट दीजिए
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं। टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1964 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा की पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।